संख्या-22/2026/001-9-7099-308-2025 COM.No. 1992026

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ.प्र. लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 14 फरवरी, 2026

विषयः- "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)" (सी.एम. ग्रिड्स) योजनान्तर्गत नगर निगम प्रयागराज में "जोन नं0-03 में राजापुर तिराहा म्योर रोड से मिन्टो पार्क होते हुए रोडवेज वर्कशाप होते हुए हीरा हलवाई चौराहे के पास तक सड़क निर्माण" के विकास कार्य की स्वीकृति। के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूरिडा के पत्र संख्या संख्या-574/यूरिडा-03(III))/डी.पी.आर./2025-26, दिनांक 10.11.2025 द्वारा **नगर निगम प्रयागराज में "जोन नं0-03 में राजापुर तिराहा म्योर रोड से मिन्टो पार्क होते हुए रोडवेज वर्कशाप होते हुए हीरा हलवाई चौराहे के पास तक सड़क निर्माण कार्य** हेतु अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष रूपये 2383.27 लाख का परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूरिडा के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.11.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त नगर निगम प्रयागराज में विषयगत सड़क के विकास कार्य हेतु निम्नलिखित तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार, कुल धनराशि ₹ 21,17,12,000 लाख (रूपया इक्कीस करोड़ सत्तरह

लाख बारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष राज्यांश के रूप में प्रथम किश्त की कुल धनराशि ₹ 9,52,70,000 लाख (रूपये नौ करोड़ बावन लाख सत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य का नाम	परियोजना लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	राज्यांश (90%) की धनराशि	निकायांश (10%) की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली राज्यांश की धनराशि (प्रस्तावित)	प्रथम किश्त के रूप में उपयोग/ वहन की जाने वाली निकायांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6
जोन नं0-03 में राजापुर तिराहा म्योर रोड से मिन्टो पार्क होते हुए रोडवेज वर्कसाप होते हुए हीरा हलवाई चौराहे के पास तक सड़क निर्माण कार्य।	2117.12	1905.41	211.71	952.70	105.86

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी (यूरिडा) द्वारा योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार अनुमन्य कार्यों के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था/नगर निकाय की होगी तथा कार्यदायी संस्था/नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) सी०एम०ग्रिड के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्यों के पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व नगर निकाय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित कार्य औचित्यपूर्ण है तथा भविष्य में प्रायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(5) मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स) के दिशा-निर्देश सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नगरीय निकाय का होगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग की प्रस्तावित कस्ट डिजाइन/कस्ट कम्पोजीशन सुसंगत आई०आर०सी०/लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप है ।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव में 2.50 प्रतिशत की दर से मेन्टीनेन्स चार्ज अनुमन्य किया गया है। प्रशासकीय विभाग/नगर निगम द्वारा समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 5 वर्षीय अनुरक्षण हेतु भुगतान प्रक्रिया का का मानकीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या - 3689 सी - ओ०पी०एम० आर०सी०/ मूल 23-24, दिनांक 17.02.2024 में दी गयी मदों/व्यवस्थानुसार मेन्टीनेन्स चार्ज इत्यादि पर जी०एस०टी का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/ 2021 / बी-2-96 /दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का

गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01 / 2023 / ए-2-60 / दस-2023-17 (4) / 75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। स्थानीय निकाय/कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही स्थानीय निकाय/कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ग्रिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2 /2022 /ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(12) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, प्रयागराज की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की जाय, जिसमें कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक स्तर के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो। इस समिति की देखरेख में कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(13) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु विस्तृत आगणन के आधार पर धनराशि सम्मिलित किया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व स्थानीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्रस्तावित कार्यो का Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी।

(14) स्थानीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था / नगरीय निकाय का होगा ।

(16) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय ।

(17) प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था / नगरीय निकाय द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाय।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था/नगरीय निकाय द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(19) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की कार्य स्थल पर स्थापित किये गये डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(20) उपरोक्त योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/ महालेखाकार को दिनांक 31.03.2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से उतनी ही धनराशि आगामी वर्षों में निकायों को अवमुक्त की जायेगी, जितना कि उनके द्वारा राजस्व संग्रहण में वृद्धि के आधार पर योजनान्तर्गत आवंटित होगी। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ निकायों द्वारा राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि नही की जा सकी, तो कार्ययोजना में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं के संसाधनों से करना होगा।

(22) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे, यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(23) शासनादेश संख्या-2112/नौ-7-2023-03 (ज)/2023, दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत योजना दिशा-निर्देशों एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-2134/नौ-7-2023-03(ज)/ 2023, दिनांक 13.10.2023 के प्राविधानों के साथ समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) नगर निगम द्वारा समस्त मार्गों के अनुबन्धों में 5 वर्षीय अनुरक्षण हेतु भुगतान प्रक्रिया का मानकीकरण से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-3869 सी-ओ 0 पी0 एम 0 आर 0 सी0/मूल 23-24, दिनांक 17.02.2024 में दी

गयी मदों/व्यवस्थानुसार मेन्टीनेन्स चार्ज इत्यादि पर जी0एस0टी0 का नियमानुसार भुगतान कार्यदायी संस्था/नगर निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) इस संबंध में पी0एफ0ए0डी0 की परीक्षण आख्या संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि परीक्षण आख्या में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹ 9,52,70,000 लाख (रूपये नौ करोड़ वावन लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217058001100 मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम(अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या < >, दिनांक- फरवरी, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
Sanjay Kumar Tiwari
Date: 14-02-2026
14:33:27

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव,

<u>संख्या-22(1)/2026/001-9-7099-308-2025, COM.No. 1992026, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सी.ई.ओ. यूरिडा लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम प्रयागराज, उ.प्र.।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

संजय कुमार तिवारी,

अनु सचिव।